बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

ज्ञापांक:–6B / एन0–08–06 / 2026–......635(6B) दिनांक– 30 / 07 / 2026

नर्सेज ट्रेनिंग–रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कडक्ट ऑफ इक्जामिनेशंस ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग नियमावली, 1997 एवं समय–समय पर यथा संशोधित नियम–4 II(अ) में निहित प्रावधान के आलोक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी प्रक्षेत्र के नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों के स्थापना के निमित्त अनुमति एवं मान्यता प्रदान करने हेतु सभी कार्रवाई ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है।

2–इस निमित्त पोर्टल http://bnrc2.bihar.gov.in को पूर्व में ही प्रारंभ किया जा चुका है, जिसके माध्यम से आवेदन प्राप्त किये गये हैं।

3–पुनः निजी प्रक्षेत्र में नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु कई नये इच्छुक संस्थानों से आवेदन प्राप्त हो रहें हैं। इसके लिए इन नये संस्थानों को अनुमति एवं मान्यता के लिए उक्त पोर्टल पर सभी दस्तावेज अपलोड करते हुए आवेदन करना होगा।

4–वर्तमान में मान्यता प्राप्त सभी निजी प्रक्षेत्र के नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों से सीट वृद्धि एवं अवधि विस्तार के लिए अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रयोजन से भी इन संस्थानों को उक्त पोर्टल पर डाटा पोर्टल लाईव होने के 15 दिनों के अन्दर अपलोड करना होगा। तदोपरान्त मान्यता प्राप्त संस्थानों को सीट वृद्धि एवं अवधि विस्तार हेतु समर्पित आवेदनों पर विचार किया जायेगा।

5–अनुमति एवं मान्यता हेतु पूर्व में समर्पित ऐसे सभी मामले जिसमें विभाग द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गई है अथवा अनुमति प्रदान करने के उपरान्त निरीक्षण हेतु संस्थान द्वारा शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, वैसे सभी मामलों में विभाग द्वारा कोई भी अग्रेतर कार्रवाई पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर की जायेगी।

6–पोर्टल पर अनुमति एवं मान्यता हेतु आवेदन करने तथा वर्तमान में स्थापित नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों को पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के संबंध में तिथि निर्धारण से संबंधित सूचना आम जनमानस को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी जायेगी।

7–पोर्टल पर आवेदन करने हेतु यूजर्स मैन्यूल निर्गत किया गया है, जिसका अवलोकन विभागीय बेवसाईट (https://state.bihar.gov.in/health/CitizenHome.html) पर किया जा सकता है। साथ ही वर्तमान में स्थापित सभी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों को पोर्टल पर डाटा अपलोड करने हेतु आई0डी0 एवं पासवर्ड विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा।

8–उक्त कार्य के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर नोडल पदाधिकारी श्री अनुपम कुमार मोबाईल नं0–9262812705 ई–मेल section06health@gmail.com से संपर्क करते हुए कठिनाईयों का निराकरण किया जायेगा।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

(मृणायक दास),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :– 6B/एन0–08–06/2026–635(6B) दिनांक– 30/07/2026

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर आदेश की प्रति एवं यूजर्स मैन्यूल अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/7/2026

सरकार के अपर सचिव।